



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, जयपुर

RAJASTHAN HIGH COURT BUILDING, JAIPUR

Ph. : 0141-2227481 Fax : 0141-2227602 e-mail : rslsajp@gmail.com

No.

Date :

क्रमांक :- RSLSA/B/22605-22639 दिनांक :- 21.01.2015

प्रेषित :-

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

(218158 21 जे)

विषय :- कारागृहों में निरुद्ध बन्दियों तथा विधि से संघर्षरत किशोरों को विधिक सलाह, साक्षरता एवं विधिक सहायता प्रदान करने के क्रम में ।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8373-8407 दिनांक 2.7.2012 के क्रम में ।

महोदय,

हम सबका यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि कारागृहों में निरुद्ध व्यक्तियों एवं विधि से संघर्षरत किशोरों सहित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में वर्णित वर्गों का कोई पात्र व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता के अभाव में न्याय पाने से वंचित नहीं रहे ।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशानुसार अनुरोध है कि सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को बिना देरी के निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ कृपया प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस) को 4.00 पीएम पर जिला मुख्यालय पर स्थित कारागृह एवं ताल्लुका स्थित कारागृह पर सम्बंधित विधिक जागरूकता टीम (दो पैनेल अधिवक्तागण एवं दो पैरा लीगल वोलेन्टियर) को भिजवायें जो कारागृह में निरुद्ध जिन बन्दियों के पास पैरवी के लिये अधिवक्ता नहीं है उनका विवरण निम्न प्रपत्र में आपको या ताल्लुका समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करें :-

क्र०सं०	बन्दी का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	एफ०आई०आर०नं० एवं पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम जहाँ प्रकरण लम्बित है एवं लम्बित प्रकरण का नं० व उनका नाम	आपराधिक प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

यदि किसी विचाराधीन बन्दी ने आरोपित अपराध के लिये निर्धारित कारावास की सजा की आधी अवधि कारागृह में गुजार ली है तो उसके सम्बन्ध में निम्न प्रपत्र में विवरण आपको या ताल्लुका समिति अध्यक्ष को प्रेषित करें :-

क्र०सं०	बन्दी का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	एफ०आई०आर०नं० एवं पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम जहाँ प्रकरण लम्बित है एवं लम्बित प्रकरण का नं० व उनका नाम	आपराधिक प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी	बन्दी की गिरफ्तारी की तिथि एवं आरोपित अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि
1	2	3	4	5	6

दोषसिद्धी के फ़्यात कारावास की सजा काट रहे ऐसे बन्दियों का विवरण भी आपको या सम्बंधित ताल्लुका अध्यक्ष को निम्न प्रफ़ोर्मा में प्रेषित करें जो अधिवक्ता के अभाव में अपील/निगरानी दायर नहीं कर पाये हैं :-

क्र०सं०	बन्दी का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	न्यायालय का नाम जहाँ से दोषसिद्धी व दण्डित किया गया है एवं केस का नम्बर व उन्वान	निर्णय की दिनांक	अधिरूपित कारावास की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

उपरोक्त विवरण एकत्रित करने के अलावा विधिक जागरूकता टीम के सदस्य कारागृह में निरुद्ध व्यक्तियों को आवश्यक कानूनी जानकारी देंगे, जेल मैन्युअल के अनुसार उनके अधिकार, कर्तव्य एवं उनके प्रकरणों के बारे में उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे तथा आवश्यक होने पर कानूनी सलाह प्रदान करेंगे ।

इसी तरह कृपया अपने न्यायक्षेत्र में स्थित किशोर गृह/सम्प्रेषण गृह /विशेष सम्प्रेषण गृह पर भी विधिक जागरूकता टीम को प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस) को 4.00 पी०एम० पर भिजवायें जो सम्बंधित प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करे एवं वहाँ निरुद्ध ऐसे किशोरों का विवरण निम्न प्रपत्र में आपको अविलम्ब प्रेषित करे जिनका कोई अधिवक्ता न्यायमित्र के रूप में पहले से नियुक्त नहीं है :-

क्र०सं०	निरुद्ध किशोर का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	न्यायालय का नाम जहाँ से दोषसिद्धी की गई है व विशेष होम में सुधार के लिये भेजा गया है ।	निर्णय की दिनांक	विशेष सम्प्रेषण गृह में भेजने की अवधि	प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता पूर्व से उपलब्ध है या नहीं
1	2	3	4	5	6

इसी तरह किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर की दोषसिद्धी के फ़्यात किशोर सम्प्रेषण गृह में निरुद्ध किशोर गण के सम्बन्ध में निम्न प्रपत्र में आवश्यक विवरण आपको प्रेषित करें :-

क्र०सं०	निरुद्ध किशोर का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	एफ़०आई०आर०नं० एवं पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम जहाँ प्रकरण लम्बित है एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरण का नं० व उन्वान	आपराधिक प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी	विशेष सम्प्रेषण गृह में दोषसिद्ध किशोर को रखने की अवधि
1	2	3	4	5	6

विधिक जागरूकता टीम किशोरगण को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देगी , उन्हें अपराध एवं कुसंगति से दूर रहने के बारे में सलाह ,सुझाव एवं प्रेरणा देगी। यदि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा है या सम्बंधित किशोर गृह की स्थितियों में सुधार की आवश्यकता है तो उसका नोट तैयार कर आपको प्रेषित करेंगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार विवरण प्राप्त होते ही जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को एवं सम्प्रेषण गृह में निरुद्ध किशोरगण को निष्ठुल्क पैनल अधिवक्ता / रिटेनर अधिवक्ता की निष्ठुल्क सहायता उपलब्ध करायें एवं पात्र अभियुक्त की ओर से धारा 436 (ए) द०प्र०सं० के तहत अविलम्ब जमानत आवेदन पत्र रिटेनर अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराएँ ।

यदि विधिक जागरूकता टीम का कोई सदस्य अनुपस्थित है या अपनी सेवायें देने में असमर्थ है तो उसके स्थान पर दूसरे पैनल अधिवक्ता या पैरा लीगल वोलेंटियर को भिजवायें एवं यह सुनिश्चित करें कि प्रतिमाह निर्धारित समय व दिवस पर विधिक जागरूकता टीम उपरोक्त कार्यवाही सम्पादित करे ।

प्रासांगिक पत्र में निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्येक पैनल अधिवक्ता को 500/रुपये एवं पैरा लीगल वोलिन्टर को 250/रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय का भुगतान करें साथ ही उनके द्वारा आने जाने के लिये वाहन की व्यवस्था करने पर 6/रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आवागमन खर्च का भी भुगतान करें । इसी तरह रिटेनर / पैनल अधिवक्ता को पैरवी करने पर नियमानुसार निर्धारित मानदेय का भुगतान करें ।

कृपया विधिक जागरूकता टीम के सदस्यों को निर्धारित मानदेय का भुगतान करने से पूर्व सम्बंधित कारागृह / किशोर गृह के प्रभारी से निम्न आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें :-

प्रमाण पत्र

कारागृह/उप कारागृह.....
प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक को बजे विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण सर्वश्री 1..... 2..... 3..... 4..... इस कारागृह /उप कारागृह में आए और उन्होंने बन्दियों/ किशोरगण को कानूनी जानकारी/ सलाह/सहायता प्रदान की।

पुनः अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि प्रति माह उपरोक्त कार्यवाही प्रभावी तरीके से सम्पादित हो एवं एक भी अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से वंचित नहीं रहे ।

कृपया एक विधिक सेवा के लिपिक से संलग्न प्रारूप में रजिस्टर संधारित कराएँ एवं इसी प्रारूप में मासिक पालना रिपोर्ट आगामी माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायें ताकि उसे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ रखा जा सके ।

सादर ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रफोर्मा

क्र०सं०	विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण के नाम	जेल/किशोरगृह के निरीक्षण की दिनांक व समय	विधिक साक्षरता टीम द्वारा किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण	विधिक साक्षरता टीम के सदस्यों को दिये गये मानदेय की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6